

MAA OMWATI DEGREE COLLEGE

V.P.O. Hassanpur, Teh. Hodal Distt. Palwal

(HR.)

NOTES

MA-POLITICAL SCIENCE 1ST SEM

SUBJECT:- INTERNATIONAL POLITICS (MC)

SYLLABUS

MAHARISHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

International Politics-I

[PAPER-3]

M.A. POL. SCIENCE (Sem.-1), Paper Code : 20POL21C3

Time : 2 Hrs.

Max. Marks : 100

Term End Examination : 80, Assignment : 20

Note : The question paper will be divided into five Units carrying equal marks i.e. 16 marks. Students shall be asked to attempt one out of two questions from each unit. Unit five shall contain eight short answer type questions without any internal choice and it shall be covering the entire syllabus. As such, all questions in unit five shall be compulsory.

UNIT-I

International Politics, Meaning, Nature and Scope, Stages of Growth, International Politics as an autonomous discipline and subject matter of International politics.
Theory and Approaches to study of International relations : Idealist, Realist, System, Decision making, Game and Communication.

UNIT-II

National Power : Meaning, Importance and its elements. Limitations of State action : Balance of Power, Collective Security, International Law, International Morality and World Public Opinion.

UNIT-III

National Interests and ideology in International Relations. Foreign Policy and its elements; Diplomacy, Features, Objectives, Function, Types of Diplomacy, Decline and Future of Diplomacy.

UNIT-IV

Cold War, End of Cold War and Post Cold War, Non-alignment: Meaning, Features, Bases, Movement, History and Relevance in 21st Century.

UNIT-1

**** अंतर्राष्ट्रीय राजनीति: अर्थ, दायरा और स्वभाव**

1. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन सभी गतिविधियों, संबंधों और शक्तियों का अध्ययन है जो देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं और अन्य वैश्विक अभिनेताओं के बीच होती हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक समस्याओं जैसे सुरक्षा, व्यापार, पर्यावरण, मानवाधिकार आदि को संभालने के लिए देशों के बीच संबंधों और नीतियों का प्रबंधन करना है।

साधारण शब्दों में, यह है:

- **कूटनीति:** देशों के बीच संवाद, संधियाँ और समझौते।
- **संघर्ष:** युद्ध, क्षेत्रीय विवाद और सैन्य संघर्ष।
- **सहयोग:** देशों के बीच सहयोग, समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग।
- **वैश्विक शासन:** जलवायु परिवर्तन, महामारी, आर्थिक संकट जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान।

2. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दायरा

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दायरा बहुत व्यापक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की वैश्विक गतिविधियों को कवर करता है। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- **राजनीतिक संबंध:** देशों के बीच विदेश नीति, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों, संधियों और कूटनीतिक संबंधों का प्रबंधन।
- **सुरक्षा और संघर्ष:** युद्ध, शांति, संघर्ष समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे। जैसे, सैन्य गठबंधन (NATO), परमाणु निरस्त्रीकरण और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएँ:** संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO), और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी संस्थाओं का वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में भूमिका।
- **आर्थिक संबंध:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक बाजार, वित्तीय संस्थाएँ (IMF, विश्व बैंक) और आर्थिक कूटनीति।
- **पर्यावरणीय राजनीति:** जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास और पर्यावरणीय समझौते जैसे पेरिस समझौता आदि पर देशों का सहयोग या संघर्ष।
- **मानवाधिकार और विकास:** मानवाधिकार कानून, वैश्विक असमानताओं से निपटना, जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे।

- **सांस्कृतिक और वैचारिक संपर्क:** देशों के बीच सांस्कृतिक कूटनीति, विचारधारा और मुलायम शक्ति (soft power) का प्रभाव। जैसे लोकतंत्र, तानाशाही, राष्ट्रीयता आदि पर विचार।
-

3. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वभाव

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वभाव कुछ विशेष विशेषताओं से प्रेरित होता है:

- **राष्ट्रियता और अराजकता (Anarchy):** अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई केंद्रीय सरकार या शक्ति नहीं होती। यह एक अराजक प्रणाली होती है, जहाँ देशों के पास अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता होती है, और वे अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएँ हैं, लेकिन उनके पास सत्ता का प्रवर्तन करने की क्षमता नहीं होती है।
- **शक्ति और प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति केंद्रीय भूमिका निभाती है। देश अपनी सैन्य ताकत, आर्थिक प्रभाव, कूटनीतिक ताकत और मुलायम शक्ति (soft power) के माध्यम से अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत (Balance of Power) यह बताता है कि कैसे राज्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शक्ति को संतुलित करने की कोशिश करते हैं।
- **संघर्ष और सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष (युद्ध, व्यापार विवाद) और सहयोग (संधियाँ, संधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग) दोनों होते हैं। इन दोनों पहलुओं का अस्तित्व और सह-अस्तित्व होता है। कभी-कभी देशों के बीच एक ही समय में प्रतियोगिता और सहयोग दोनों होते हैं (जैसे, चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में परस्पर निर्भरता होते हुए भी सुरक्षा संबंधी संघर्ष होते हैं)।
- **संप्रभुता और हस्तक्षेप:** देशों की संप्रभुता का सिद्धांत कहता है कि एक राष्ट्र को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। हालांकि, मानवाधिकारों का उल्लंघन, आतंकवाद या क्षेत्रीय संघर्ष जैसे मुद्दों पर वैश्विक समुदाय हस्तक्षेप कर सकता है। "रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट" (R2P) सिद्धांत इस बदलाव को दर्शाता है।
- **वैश्वीकरण:** वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अधिक परस्पर संबंधित बना दिया है। अब देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक संबंधों का दायरा बढ़ चुका है, जिससे समस्याएँ भी वैश्विक हो गई हैं। जैसे- जलवायु परिवर्तन, महामारी और आतंकवाद, जो एकल देश द्वारा हल नहीं किए जा सकते।
- **वैश्विक कानून और मानदंड:** अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंड देशों के बीच व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते और कानूनी ढांचा यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि देशों के बीच संबंध शांति और सहयोगपूर्ण हों। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का भी बड़ा प्रभाव होता है, जैसे रासायनिक हथियारों का उपयोग न करना या मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना।
- **वैश्विक मुद्दे और परस्पर निर्भरता:** जब विश्व में एक देश किसी वैश्विक मुद्दे को हल करने की कोशिश करता है, तो उसे अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप, पर्यावरणीय संकट, महामारी, आतंकवाद आदि जैसे वैश्विक मुद्दे केवल देशों के सामूहिक प्रयासों से हल हो सकते हैं।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देशों, संगठनों और अन्य वैश्विक अभिनेताओं के बीच रिश्तों, शक्तियों और संघर्षों का अध्ययन है। इसका दायरा बहुत व्यापक है और इसमें सुरक्षा, कूटनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, मानवाधिकार, और सांस्कृतिक मुद्दे शामिल हैं। इसका स्वभाव अराजकता, शक्ति संतुलन, संघर्ष और सहयोग की परस्पर निर्भरता, और वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रभावित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चरण और विकास

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास समय के साथ हुआ है, और यह इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, शक्ति संतुलनों और वैश्विक चुनौतियों से प्रभावित रहा है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में विभाजित की जा सकती है, जहाँ हर चरण में महत्वपूर्ण घटनाएँ, विचारधाराएँ और देशों और अन्य वैश्विक अभिनेताओं के बीच रिश्तों के नए रूपों का उदय हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चरण

1. प्राचीन और मध्यकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- **प्रारंभिक कूटनीति:** प्राचीन सभ्यताओं (मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस, चीन) में कूटनीति के पहले रूपों का अभ्यास किया गया, जिनमें दूत, संधियाँ और गठजोड़ शामिल थे। इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर सीमित थी। उदाहरण के लिए, हित्ती और मिस्रियों के बीच **कडेश की संधि** (1259 ई.पू.) एक प्राचीन शांति संधि थी।
- **शक्तिशाली साम्राज्य और राज्य:** इस काल में राजनीति साम्राज्य और राज्यों के विस्तार के आसपास केंद्रित थी, और शाही राजाओं और साम्राज्यों के बीच अक्सर संघर्ष होते थे।

2. राजतंत्र और राष्ट्र-राज्य की वृद्धि (मध्यकालीन युग)

- **मध्यकालीन यूरोप:** 5वीं से 15वीं सदी तक, यूरोप में राजनीतिक संबंधों का निर्माण मुख्य रूप से सामंती व्यवस्था के तहत हुआ था, जिसमें स्थानीय जमींदारों के पास सत्ता होती थी। राज्य और साम्राज्य के भीतर अक्सर धार्मिक गठबंधन, शाही विवाह या युद्धों के आधार पर कूटनीति चलती थी।
- **धर्म और राज्य की राजनीति:** मध्यकाल में चर्च का राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक था, विशेष रूप से यूरोप में। चर्च और राज्य के बीच संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते थे।

3. वेस्टफेलिया संधि (1648) और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का जन्म

- **वेस्टफेलिया संप्रभुता:** 1648 में वेस्टफेलिया संधि के बाद आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव पड़ी। इस संधि ने संप्रभुता (राष्ट्रों को अपने क्षेत्र में पूर्ण अधिकार) और क्षेत्रीय अखंडता (राष्ट्रों की सीमाएँ अतिक्रमण से सुरक्षित रहें) के सिद्धांतों की स्थापना की। इसने साम्राज्य और धार्मिक अधिकार से राष्ट्र-राज्य की ओर एक परिवर्तन को चिन्हित किया।
 - **राष्ट्रीयता का उदय:** वेस्टफेलिया व्यवस्था ने राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को मजबूती दी। इस समय तक राज्य की पहचान और उसकी संप्रभुता की भावना मजबूत हुई।
-

4. औपनिवेशिक युग और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विस्तार (16वीं-19वीं शताब्दी)

- **औपनिवेशिक विस्तार:** यूरोपीय शक्तियाँ (ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल) पूरी दुनिया में उपनिवेश स्थापित करने लगीं, जिससे यूरोपीय राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक प्रणाली अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में फैल गई।
- **वैश्विक साम्राज्य और शक्ति संघर्ष:** इस काल में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रवृत्तियाँ बढ़ीं, और देशों ने व्यापार, सैन्य विजय और उपनिवेशीकरण के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दायरा विश्वव्यापी हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चरण और विकास

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास समय के साथ हुआ है, और यह इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, शक्ति संतुलनों और वैश्विक चुनौतियों से प्रभावित रहा है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में विभाजित की जा सकती है, जहाँ हर चरण में महत्वपूर्ण घटनाएँ, विचारधाराएँ और देशों और अन्य वैश्विक अभिनेताओं के बीच रिश्तों के नए रूपों का उदय हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चरण

1. प्राचीन और मध्यकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- **प्रारंभिक कूटनीति:** प्राचीन सभ्यताओं (मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस, चीन) में कूटनीति के पहले रूपों का अभ्यास किया गया, जिनमें दूत, संधियाँ और गठजोड़ शामिल थे। इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर सीमित थी। उदाहरण के लिए, हित्ती और मिस्रियों के बीच **कडेश की संधि** (1259 ई.पू.) एक प्राचीन शांति संधि थी।

- **शक्तिशाली साम्राज्य और राज्य:** इस काल में राजनीति साम्राज्य और राज्यों के विस्तार के आसपास केंद्रित थी, और शाही राजाओं और साम्राज्यों के बीच अक्सर संघर्ष होते थे।

2. राजतंत्र और राष्ट्र-राज्य की वृद्धि (मध्यकालीन युग)

- **मध्यकालीन यूरोप:** 5वीं से 15वीं सदी तक, यूरोप में राजनीतिक संबंधों का निर्माण मुख्य रूप से सामंती व्यवस्था के तहत हुआ था, जिसमें स्थानीय जमींदारों के पास सत्ता होती थी। राज्य और साम्राज्य के भीतर अक्सर धार्मिक गठबंधन, शाही विवाह या युद्धों के आधार पर कूटनीति चलती थी।
- **धर्म और राज्य की राजनीति:** मध्यकाल में चर्च का राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक था, विशेष रूप से यूरोप में। चर्च और राज्य के बीच संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते थे।

3. वेस्टफेलिया संधि (1648) और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का जन्म

- **वेस्टफेलिया संप्रभुता:** 1648 में वेस्टफेलिया संधि के बाद आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव पड़ी। इस संधि ने संप्रभुता (राष्ट्रों को अपने क्षेत्र में पूर्ण अधिकार) और क्षेत्रीय अखंडता (राष्ट्रों की सीमाएँ अतिक्रमण से सुरक्षित रहें) के सिद्धांतों की स्थापना की। इसने साम्राज्य और धार्मिक अधिकार से राष्ट्र-राज्य की ओर एक परिवर्तन को चिह्नित किया।
- **राष्ट्रीयता का उदय:** वेस्टफेलिया व्यवस्था ने राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को मजबूती दी। इस समय तक राज्य की पहचान और उसकी संप्रभुता की भावना मजबूत हुई।

4. औपनिवेशिक युग और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विस्तार (16वीं-19वीं शताब्दी)

- **औपनिवेशिक विस्तार:** यूरोपीय शक्तियाँ (ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल) पूरी दुनिया में उपनिवेश स्थापित करने लगीं, जिससे यूरोपीय राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक प्रणाली अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में फैल गईं।
- **वैश्विक साम्राज्य और शक्ति संघर्ष:** इस काल में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रवृत्तियाँ बढ़ीं, और देशों ने व्यापार, सैन्य विजय और उपनिवेशीकरण के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दायरा विश्वव्यापी हो गया।

5. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उदय और वैश्विक व्यापार (19वीं शताब्दी – 20वीं शताब्दी की शुरुआत)

- **औद्योगिक क्रांति:** 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ आर्थिक विकास, नई प्रौद्योगिकियों और वैश्विक परस्पर निर्भरता में वृद्धि हुई। इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की नींव रखी गई, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन:** वैश्विक व्यापार और कूटनीति के विस्तार के साथ, देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं का विकास हुआ। उदाहरण स्वरूप, हेग समझौते (1899 और 1907) ने युद्ध और कूटनीति को विनियमित करने के प्रयास किए।

6. विश्व युद्ध और आधुनिक वैश्विक व्यवस्था की स्थापना (20वीं शताब्दी)

- **विश्व युद्ध I (1914–1918):** प्रथम विश्व युद्ध के बाद **लीग ऑफ नेशंस** (संघों की लीग) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ स्थापित की गईं, जिनका उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना था। हालांकि, लीग ऑफ नेशंस की प्रभावहीनता ने यह सिद्ध कर दिया कि एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता है।
- **विश्व युद्ध II (1939–1945):** द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नया रूप दिया। युद्ध के बाद, **संयुक्त राष्ट्र (UN)** की स्थापना 1945 में की गई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और मानवाधिकारों की सुरक्षा था।
- **शीत युद्ध (Cold War):** विश्व युद्ध II के बाद, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच **शीत युद्ध** (1947–1991) की स्थिति बनी, जिससे वैश्विक राजनीति में बिपोलर (दो ध्रुवीय) शक्ति संरचना का उदय हुआ। इस दौरान **नाटो (NATO)** और **वारसॉ पैक्ट** जैसे सैन्य गठबंधन बने और परमाणु युद्ध की धमकी का सामना किया गया।
- **उपनिवेशवाद का अंत:** 20वीं सदी के मध्य में, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे वैश्विक राजनीति और भी जटिल हो गई।

7. पोस्ट-कोल्ड वॉर युग और वैश्वीकरण का उभार (1990–वर्तमान)

- **शीत युद्ध का अंत:** 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया और अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। इस अवधि में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था का वैश्विक प्रसार हुआ।
- **वैश्वीकरण:** इंटरनेट, वैश्विक व्यापार और संचार प्रौद्योगिकियों के विकास ने वैश्विक परस्पर निर्भरता को बढ़ाया। 21वीं सदी में, **जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारियाँ** और **साइबर सुरक्षा** जैसे मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।
- **बहुध्रुवीय विश्व:** आजकल, दुनिया एक बहुध्रुवीय संरचना में परिवर्तित हो गई है, जिसमें **चीन, भारत** और अन्य उभरते देशों की भूमिका बढ़ी है। अब वैश्विक राजनीति केवल दो महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई देशों और अभिनेताओं का योगदान है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं में देखा जा सकता है:

1. **द्विपक्षीय से बहुपक्षीय रिश्तों की ओर:** प्रारंभ में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्विपक्षीय (दो देशों के बीच) होते थे, लेकिन समय के साथ ये बहुपक्षीय (कई देशों के बीच) हो गए। उदाहरण के लिए, **संयुक्त राष्ट्र (UN)**, **विश्व व्यापार संगठन (WTO)**, और **यूरोपीय संघ (EU)** जैसी संस्थाएँ बहुपक्षीय कूटनीति का प्रतीक हैं।

2. **वैश्विक मुद्दों का विस्तार:** पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य ध्यान युद्ध, कूटनीति और क्षेत्रीय विवादों पर था। लेकिन अब यह वैश्विक मुद्दों जैसे **वैश्वीकरण, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा** से जुड़ा हुआ है।
3. **प्रौद्योगिकी का प्रभाव:** संचार और परिवहन तकनीकों के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूरी तरह से बदल दिया। आज, देशों के बीच सूचना का आदान-प्रदान तेज़ हो गया है, लेकिन यह साइबर हमलों और सूचना युद्ध जैसी नई समस्याओं का भी कारण बना है।
4. **आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं का बढ़ना:** अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अब सिर्फ सैन्य और क्षेत्रीय मुद्दों से बाहर निकलकर आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं पर भी केंद्रित है। **विश्व बैंक, IMF, और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC)** जैसी संस्थाएँ इन मुद्दों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
5. **राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**

International Politics as an Autonomous Discipline

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त (Autonomous) अनुशासन के रूप में समझना एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो समय के साथ विकसित हुई है। यह एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र के रूप में उभरी है, जो केवल राजनीतिक सिद्धांतों और देश के अंदर की राजनीति (आंतरिक राजनीति) से अलग है, और वैश्विक राजनीति और देशों के बीच के रिश्तों पर केंद्रित है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वायत्त अनुशासन बनने की प्रक्रिया

1. **प्रारंभिक अवस्था:**
 - पहले, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का अध्ययन मुख्य रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता था, और यह अधिकतर इतिहासकारों या कूटनीतिज्ञों द्वारा किया जाता था। यह कोई औपचारिक या स्वतंत्र अनुशासन नहीं था, बल्कि यह सामान्य रूप से राजनैतिक विज्ञान या इतिहास के क्षेत्र के तहत आता था।
2. **19वीं शताब्दी में विकास:**
 - **अंतर्राष्ट्रीय संबंधों** के अध्ययन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई, जब **नेपोलियन युद्धों** और बाद में औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। इस समय **कूटनीति और राजनीतिक सिद्धांत** के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का विश्लेषण किया जाने लगा, लेकिन फिर भी इसे स्वतंत्र अनुशासन के रूप में नहीं माना गया।
3. **20वीं शताब्दी और विश्व युद्ध:**
 - 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, **प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध** ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और महत्वपूर्ण बना दिया, और वैश्विक घटनाओं को समझने के लिए एक नए अध्ययन दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की गई।

- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अलग और स्वायत्त अनुशासन के रूप में स्थापित किया गया। 1919 में, विल्सनियन अंतर्राष्ट्रीयता के तहत लीग ऑफ नेशंस की स्थापना और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना ने इसे एक स्वतंत्र क्षेत्र बना दिया।
- 4. **प्रमुख सिद्धांतों और स्कूल ऑफ थॉट्स:**
 - 20वीं सदी में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में वास्तववाद (Realism), उदारवाद (Liberalism) और मार्क्सवाद (Marxism) जैसे विभिन्न सिद्धांतों का विकास हुआ, जिससे यह अनुशासन स्वायत्त और विशिष्ट हो गया। इन सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को न केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यावहारिक (प्राकृतिक) दृष्टिकोण से भी प्रभावित किया।
- 5. **अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संस्थागत स्वीकृति:**
 - आज, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (International Relations) को राजनैतिक विज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है और इसे कई विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में पढ़ाया जाता है।
 - अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शिक्षा और अनुसंधान का विकास हुआ है, और यह वैश्विक नीति, कूटनीति, युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक समस्याओं के समाधान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वायत्त अनुशासन के रूप में विशेषताएँ

- **वैश्विक दृष्टिकोण:** यह विशेष रूप से देशों के बीच के रिश्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **सिद्धांत और नीति:** यह अंतर्राष्ट्रीय नीति के निर्माण और इसके विभिन्न सिद्धांतों (जैसे वास्तविकता, उदारवाद, संरचनावाद) का विश्लेषण करता है।
- **वैश्विक समस्याओं का समाधान:** यह कूटनीति, युद्ध, मानवाधिकार, पर्यावरण, और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर समाधान खोजने का कार्य करता है।

Subject Matter of International Politics (अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय-वस्तु)

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय-वस्तु एक विविध और व्यापक क्षेत्र है, जो विभिन्न वैश्विक घटनाओं, विचारधाराओं, शक्तियों, और संबंधों का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि राष्ट्रों, संगठनों, और अन्य वैश्विक अभिनेताओं के बीच कैसे रिश्ते बनते हैं, और इन संबंधों के परिणाम क्या होते हैं। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं:

1. वैश्विक कूटनीति (Global Diplomacy)

- कूटनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश एक-दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, समझौते करते हैं, और विवादों का समाधान करते हैं। इसमें **द्विपक्षीय** (दो देशों के बीच), **बहुपक्षीय** (कई देशों के बीच) और **मल्टीलेटरल** (कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से) कूटनीतिक कार्यवाही शामिल होती है।
- उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र संघ, **विश्व व्यापार संगठन (WTO)**, **यूरोपीय संघ (EU)** जैसी संस्थाएँ बहुपक्षीय कूटनीति के उदाहरण हैं।

2. सुरक्षा और संघर्ष (Security and Conflict)

- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा विषय **सुरक्षा और संघर्ष** है। यह विषय देशों के बीच युद्ध, शांति समझौते, सैन्य गठबंधन और संघर्षों के समाधान पर केंद्रित है।
- उदाहरण: **नाटो (NATO)** और **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** जैसे संस्थाएँ वैश्विक सुरक्षा मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका (Role of International Organizations)

- अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, जैसे **संयुक्त राष्ट्र (UN)**, **विश्व बैंक**, **आईएमएफ (IMF)**, और **WHO** आदि, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएँ वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करती हैं।
- उदाहरण: UN का **शांति अभियानों** में भूमिका और **मानवाधिकार** संरक्षण।

4. वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy)

- वैश्विक व्यापार, वित्तीय प्रणाली, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख घटक हैं। इसमें **विनिमय दर (Exchange Rates)**, **व्यापार संधियाँ**, **निर्यात-आयात** और **अंतर्राष्ट्रीय निवेश** जैसे पहलू शामिल हैं।
- उदाहरण: **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** और **वित्तीय संस्थाएँ** जैसे IMF और **विश्व बैंक** वैश्विक आर्थिक नीतियों के प्रमुख घटक हैं।

5. अंतर्राष्ट्रीय कानून (International Law)

- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र **अंतर्राष्ट्रीय कानून** है, जो देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। इसमें युद्ध कानून, मानवाधिकार कानून, पर्यावरणीय कानून और अन्य समझौतों का पालन करना शामिल है।
- उदाहरण: **पेरिस जलवायु समझौता**, **जीनिवा कन्वेंशन**।

6. पर्यावरणीय राजनीति (Environmental Politics)

- वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएँ जैसे **जलवायु परिवर्तन**, **प्राकृतिक संसाधन** का संरक्षण, और **सतत विकास** के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण पहलू बन चुके हैं।
- उदाहरण: **पेरिस जलवायु समझौता** (Paris Agreement) और अन्य वैश्विक पर्यावरणीय समझौतों का उद्देश्य देशों को पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है।

7. मानवाधिकार (Human Rights)

- मानवाधिकार की सुरक्षा और उसका उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद** और **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
- उदाहरण: मानवाधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** (International Court of Justice) और **ह्यूमन राइट्स वॉच** जैसी संस्थाएँ सक्रिय हैं।

8. समाज और संस्कृति (Society and Culture)

- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में **सांस्कृतिक कूटनीति** और **सॉफ्ट पावर** का बढ़ता प्रभाव है, जो देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देता है।
- उदाहरण: **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)** और **लोकतंत्र का प्रसार**।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (International Relations) का अध्ययन: सिद्धांत और दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन विभिन्न **सिद्धांतों** और **दृष्टिकोणों** द्वारा किया जाता है, जो विश्व राजनीति की समझ को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयास करता है और इसे वैश्विक मुद्दों की व्याख्या करने का एक विशिष्ट तरीका प्रदान करता है। प्रमुख सिद्धांतों और दृष्टिकोणों में **आदर्शवाद (Idealism)**, **वास्तववाद (Realism)**, **सिस्टम सिद्धांत (System Theory)**, **निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण (Decision-Making Approach)**, **खेल सिद्धांत (Game Theory)** और **संचार सिद्धांत (Communication Theory)** शामिल हैं। इन सिद्धांतों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है।

1. आदर्शवाद (Idealism)

आदर्शवाद या **विमर्शवाद** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो मानता है कि देश और अन्य वैश्विक अभिनेताओं को सद्भावना, न्याय, और नैतिकता के आधार पर एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने चाहिए। आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार, मनुष्यता की भलाई और शांति के लिए देशों को युद्ध के बजाय कूटनीति, संवाद और सहयोग का सहारा लेना चाहिए।

आदर्शवाद के प्रमुख विचार:

- **सहयोग और शांति:** आदर्शवाद शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है, और यह मानता है कि देशों के बीच सद्भावना, विश्वव्यापी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून से समस्याओं का समाधान संभव है।
- **संयुक्त राष्ट्र:** आदर्शवाद के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाती है, जो देशों के बीच शांति बनाए रखने में मदद करते हैं।

आदर्शवाद की सीमाएँ:

- यह दृष्टिकोण अक्सर **राजनीतिक वास्तविकताओं** और शक्ति संतुलन को नज़रअंदाज़ करता है।
 - यह सिद्धांत यह मानता है कि हर राष्ट्र शांतिपूर्वक और सहयोगात्मक रूप से कार्य करेगा, जो कि वैश्विक राजनीति की वास्तविकता में हमेशा सच नहीं होता।
-

2. वास्तववाद (Realism)

वास्तववाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख और पारंपरिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्य रूप से **शक्ति और राष्ट्रों के स्वार्थ** पर आधारित होते हैं। वास्तविकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार, देशों के प्राथमिक लक्ष्य अपनी **सुरक्षा, आर्थिक लाभ और वैश्विक प्रभाव** को बढ़ाना होते हैं।

वास्तववाद के प्रमुख विचार:

- **शक्ति का संतुलन:** वास्तविकतावादी सिद्धांत में यह माना जाता है कि वैश्विक राजनीति में शक्ति का संतुलन ही निर्णय करता है। देशों के बीच संघर्ष और युद्ध अक्सर शक्ति के असंतुलन के कारण होते हैं।
- **संप्रभुता और स्वार्थ:** प्रत्येक देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए काम करता है।
- **मनुष्य की प्रकृति:** वास्तविकतावादियों का मानना है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है, और यह स्वार्थ देशों के कूटनीतिक और राजनीतिक निर्णयों में परिलक्षित होता है।

वास्तववाद की सीमाएँ:

- यह सिद्धांत युद्ध और संघर्ष को बढ़ावा देने का खतरा रखता है, क्योंकि यह केवल शक्ति और स्वार्थ को महत्व देता है।
 - यह नैतिकता और सहयोग को नज़रअंदाज़ कर सकता है।
-

3. सिस्टम सिद्धांत (System Theory)

सिस्टम सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक जटिल और आपस में जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में देखता है, जिसमें विभिन्न राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। इस दृष्टिकोण में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक "सिस्टम" के रूप में देखा जाता है, जिसमें विभिन्न घटक (जैसे राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ट्रांसनेशनल कंपनियाँ) आपस में बातचीत करते हैं।

सिस्टम सिद्धांत के प्रमुख विचार:

- **संपर्क और आपसी निर्भरता:** सिस्टम सिद्धांत यह मानता है कि देशों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, और किसी भी घटना का असर पूरे वैश्विक सिस्टम पर हो सकता है।
- **बड़ी तस्वीर:** यह दृष्टिकोण राजनीति को केवल देशों के बीच संघर्ष तक सीमित नहीं मानता, बल्कि यह उसे एक बड़े नेटवर्क के रूप में देखता है, जहाँ हर घटक का प्रभाव है।

सिस्टम सिद्धांत की सीमाएँ:

- यह मानव-निर्मित संघर्षों और घटनाओं को अत्यधिक सामान्य करता है, और विशिष्ट देशों के व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान नहीं देता।

4. निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण (Decision-Making Approach)

निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न नेताओं और देशों के फैसलों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस दृष्टिकोण में, यह देखा जाता है कि किस प्रकार व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं।

निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण के प्रमुख विचार:

- **व्यक्तिगत निर्णय:** यह दृष्टिकोण यह मानता है कि वैश्विक राजनीति में व्यक्तियों के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री के फैसले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिशा देते हैं।
- **मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक तत्व:** यह दृष्टिकोण यह भी देखता है कि निर्णय लेते समय नेताओं की व्यक्तिगत मनोवृत्तियाँ, विचारधाराएँ और विश्वास किस प्रकार प्रभाव डालते हैं।

निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण की सीमाएँ:

- यह दृष्टिकोण अक्सर बड़ी संरचनात्मक ताकतों और प्रणालीगत पहलुओं को नजरअंदाज करता है।

5. खेल सिद्धांत (Game Theory)

खेल सिद्धांत गणित और रणनीतिक निर्णयों पर आधारित एक दृष्टिकोण है, जो यह समझने का प्रयास करता है कि देश कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए रणनीतिक निर्णय लेते हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा, सहयोग, समझौते और संघर्ष को मॉडलिंग के माध्यम से विश्लेषित किया जाता है।

खेल सिद्धांत के प्रमुख विचार:

- **विकल्पों का विश्लेषण:** यह सिद्धांत यह मानता है कि देशों के पास विभिन्न विकल्प होते हैं, और वे उन विकल्पों का चुनाव अपने लाभ के लिए करते हैं।
- **समझौतों और संघर्षों की स्थिति:** यह सिद्धांत यह भी देखता है कि जब देशों के हित टकराते हैं, तो वे संघर्ष में जाते हैं या समझौते करते हैं।

खेल सिद्धांत की सीमाएँ:

- यह अत्यधिक गणितीय और सैद्धांतिक हो सकता है, जिससे कभी-कभी वास्तविक जीवन के जटिलताएँ पूरी तरह से नहीं समझी जाती।

6. संचार सिद्धांत (Communication Theory)

संचार सिद्धांत का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सूचना का आदान-प्रदान और संचार कैसे निर्णयों और रिश्तों को प्रभावित करता है। इसमें यह देखा जाता है कि **प्रचार**, **मीडिया**, और **सूचना के प्रवाह** का वैश्विक राजनीति पर क्या असर होता है।

संचार सिद्धांत के प्रमुख विचार:

- **सूचना का प्रभाव:** यह सिद्धांत यह मानता है कि देशों के बीच संवाद और सूचना का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह राष्ट्रों की समझ, सहमति और विवादों को प्रभावित करता है।
- **मीडिया और प्रचार:** मीडिया, प्रचार और सार्वजनिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को आकार देते हैं और नीतियों को प्रभावित करते हैं।

संचार सिद्धांत की सीमाएँ:

- यह कभी-कभी यह मान लेता है कि सूचना हमेशा सही होती है, जबकि वास्तविकता में सूचना कभी-कभी गलत या पक्षपाती हो सकती है।

Unit -2

राष्ट्रीय शक्ति (National Power): अर्थ, महत्व और तत्व

राष्ट्रीय शक्ति (National Power) एक राष्ट्र की क्षमता है, जो उसे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, विदेश नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने, और वैश्विक मंच पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करती है। यह किसी भी देश की आंतरिक और बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता का निर्धारण करती है। राष्ट्रीय शक्ति केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह विभिन्न **आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक** तत्वों से मिलकर बनती है, जो देश को उसकी शक्ति को वास्तविक रूप में प्रकट करने की क्षमता प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय शक्ति का महत्व:

1. **सुरक्षा और आत्मनिर्भरता:** राष्ट्रीय शक्ति देश को बाहरी खतरों से बचाने के लिए सक्षम बनाती है। यह राष्ट्र के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, जिससे वह युद्ध, आंतरिक संघर्ष, या बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकता है।
2. **वैश्विक प्रभाव और कूटनीतिक सफलता:** एक शक्तिशाली राष्ट्र का वैश्विक मंच पर अधिक प्रभाव होता है। यह वैश्विक निर्णयों में अपनी भागीदारी को बढ़ाता है और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकता है।
3. **आर्थिक विकास और समृद्धि:** एक मजबूत राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र को आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे व्यापार, निवेश, और आर्थिक नीतियों में प्रभावशीलता आती है।
4. **राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति:** राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रोत्साहित करती है। यह किसी राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को संरक्षित करने और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में मदद करती है।
5. **सामाजिक समृद्धि:** जब राष्ट्रीय शक्ति मजबूत होती है, तो यह देश में सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के सुधार में योगदान कर सकती है।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व (Elements of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण विभिन्न तत्वों से होता है। ये तत्व एक साथ मिलकर एक राष्ट्र की क्षमता को आकार देते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:

1. सैन्य शक्ति (Military Power)

सैन्य शक्ति एक राष्ट्र की सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति होती है। यह शक्ति उस राष्ट्र की सैन्य बलों की क्षमता और उनकी सैन्य रणनीतियों पर निर्भर करती है, जैसे कि युद्ध की तैयारी, सैन्य साजो-सामान, और सुरक्षा बलों की दक्षता।

- **सैन्य संसाधन:** यह राष्ट्र की सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सैन्य घटकों की संख्या, गुणवत्ता और तत्परता को दर्शाता है।
 - **रक्षा नीति और रणनीति:** सैन्य शक्ति के प्रभावी उपयोग के लिए एक मजबूत रक्षा नीति और रणनीति का होना जरूरी है।
-

2. आर्थिक शक्ति (Economic Power)

आर्थिक शक्ति एक राष्ट्र की वैश्विक व्यापार में भागीदारी, वित्तीय संसाधन, औद्योगिकीकरण, और विकास के माध्यम से उत्पन्न होती है। यह किसी राष्ट्र के आंतरिक और बाहरी व्यापार, उत्पादन क्षमता, और रोजगार की दर पर निर्भर करती है।

- **संसाधनों की उपलब्धता:** खनिज, ऊर्जा स्रोत, कृषि उत्पाद, और मानव संसाधन।
 - **वित्तीय स्थिति:** देश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP), विदेशी निवेश, मुद्रा की स्थिति, और वित्तीय संस्थाएं।
 - **प्रौद्योगिकी और उद्योग:** उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत औद्योगिक आधार आर्थिक शक्ति में योगदान करते हैं।
-

3. राजनीतिक शक्ति (Political Power)

राजनीतिक शक्ति का मतलब है राष्ट्र के राजनीतिक तंत्र की स्थिरता और दक्षता। एक स्थिर और प्रभावी सरकार अपने निर्णयों को लागू करने में सक्षम होती है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी इच्छाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकती है।

- **शासन की स्थिरता:** एक मजबूत और स्थिर राजनीतिक तंत्र राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाता है।
 - **कूटनीतिक कौशल:** बाहरी संबंधों में प्रभावी और समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता।
-

4. सांस्कृतिक और नैतिक शक्ति (Cultural and Moral Power)

सांस्कृतिक शक्ति और नैतिक प्रभाव भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यह राष्ट्र की संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, शिक्षा, और विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों द्वारा प्रदर्शित होती है। इस तत्व के माध्यम से एक राष्ट्र अपनी आदर्शों, मूल्यों, और नैतिकता को दुनिया भर में प्रचारित कर सकता है।

- **सांस्कृतिक प्रभाव:** फिल्म, संगीत, साहित्य और कला जैसे माध्यमों से राष्ट्र अपनी संस्कृति का प्रसार करता है।
 - **नैतिक प्रभाव:** देशों की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नैतिक दृष्टिकोण और आदर्शों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
-

5. भौतिक संसाधन (Natural Resources)

प्राकृतिक संसाधन किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये संसाधन ऊर्जा (जैसे पेट्रोलियम, कोयला), जल, खनिज, कृषि उत्पाद, और अन्य प्राकृतिक संपत्तियाँ हो सकती हैं।

- **प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण:** किसी राष्ट्र के पास जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती है।
 - **ऊर्जा संसाधन:** तेल, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता और उनका नियंत्रित उपयोग राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाता है।
-

6. जनसंख्या और मानव संसाधन (Population and Human Resources)

किसी राष्ट्र की जनसंख्या और उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता भी उसकी शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी देश के श्रमिकों की संख्या, शिक्षा का स्तर, कौशल, और कार्यबल की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

- **शिक्षा और कौशल:** एक उच्च-शिक्षित और कौशलयुक्त कार्यबल देश की उत्पादन क्षमता और विकास को बढ़ाता है।
 - **जनसंख्या:** बड़ी और युवा जनसंख्या होने से एक राष्ट्र को श्रमिक बल में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
-

7. प्रौद्योगिकी और विज्ञान (Technology and Science)

प्रौद्योगिकी और विज्ञान किसी राष्ट्र की शक्ति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। यह तत्व राष्ट्र को अधिक उत्पादक, प्रतिस्पर्धी, और वैश्विक स्तर पर प्रभावी बनाता है। उन्नत विज्ञान और तकनीकी नवाचार राष्ट्र को वैश्विक संदर्भ में एक प्रमुख स्थान दिलाते हैं।

- **वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास:** यह किसी राष्ट्र के विकास, शिक्षा, और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रभावित करता है।
- **प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थिति:** तकनीकी क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान से राष्ट्र की आर्थिक और सैन्य शक्ति मजबूत होती है।

राज्य क्रियावली की सीमाएँ (Limitations of State Action)

राज्य की क्रियावली या गतिविधियाँ समाज और नागरिकों के भले के लिए होती हैं, लेकिन इन क्रियावली की कुछ सीमाएँ भी होती हैं। राज्य के पास शक्तियाँ होती हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग **न्यायिक समीक्षा**, **संविधान**, और **मानवाधिकार** की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। राज्य की क्रियावली की सीमाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और राज्य के कार्य **लोकतांत्रिक** और **संवैधानिक** तरीके से हों।

राज्य की क्रियावली की सीमाएँ निम्नलिखित हैं:

1. संविधान द्वारा सीमित (Limitations Imposed by the Constitution)

संविधान प्रत्येक राज्य की सर्वोच्च कानून है और यह राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। किसी भी राज्य कार्य को संविधान के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। यदि राज्य की कोई क्रियावली संविधान के खिलाफ जाती है, तो वह अवैध मानी जाती है।

- **संवैधानिक सिद्धांत:** राज्य की सारी क्रियावली संविधान के तहत तय किए गए सिद्धांतों, मूल अधिकारों और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

- **संविधानिक न्यायपालिका:** न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि वह राज्य के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि वे संविधान के अनुसार हैं या नहीं।
-

2. मानवाधिकार की सुरक्षा (Protection of Human Rights)

राज्य की क्रियावली को **मानवाधिकार** के उल्लंघन से बचना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा किया जाता है। यदि राज्य की कार्रवाई नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो यह कार्रवाई सीमित मानी जाती है।

- **मूल अधिकार:** भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार (जैसे स्वतंत्रता, समानता, और व्यक्तिगत सुरक्षा) राज्य की शक्तियों से ऊपर होते हैं।
 - **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार:** संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार समझौते और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य की क्रियावली पर प्रभाव डालते हैं, ताकि राज्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करें।
-

3. न्यायिक नियंत्रण (Judicial Review)

राज्य की क्रियावली पर **न्यायिक नियंत्रण** होता है, जिसका मतलब है कि न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि वह राज्य द्वारा किए गए निर्णयों और कानूनी उपायों की समीक्षा करे। यदि राज्य का कोई निर्णय या कानून संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है।

- **न्यायिक स्वतंत्रता:** न्यायपालिका राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
 - **संविधानिकता की जांच:** न्यायपालिका यह देखती है कि राज्य के कार्य संविधान और अन्य कानूनों के अनुरूप हैं या नहीं।
-

4. लोकतांत्रिक जिम्मेदारी (Democratic Accountability)

राज्य की क्रियावली लोकतांत्रिक दायित्वों के तहत होती है। लोकतांत्रिक सरकारों को चुनावों के माध्यम से जनता से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राज्य की नीति और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं।

- **निर्वाचन प्रणाली:** चुनावों के माध्यम से सरकारों को जनता के सामने जवाबदेह बनाया जाता है। यदि राज्य की क्रियावली जनता के हितों के खिलाफ होती है, तो वह चुनावों के माध्यम से बदल सकती है।

- **संसदीय नियंत्रण:** राज्य की नीतियों और कार्यों पर संसद की निगरानी होती है। सरकार को संसद के सामने अपनी नीतियों का लेखा-जोखा पेश करना पड़ता है।
-

5. संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती (Cannot Violate Constitutional Rights)

राज्य की क्रियावली के तहत नागरिकों को मिलने वाले संविधानिक अधिकारों (जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। संविधान यह निर्धारित करता है कि राज्य किस हद तक इन अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है, और यह हस्तक्षेप केवल संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए।

- **मौलिक अधिकारों की सुरक्षा:** किसी भी राज्य कार्य को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से समझौता नहीं करना चाहिए। यदि राज्य ऐसा करता है, तो वह कार्य असंवैधानिक माना जाएगा।
-

6. संविधानिक न्यायिक विवेक (Constitutional Judicial Discretion)

राज्य की क्रियावली की कुछ सीमाएँ न्यायिक विवेक पर आधारित होती हैं। न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि वह संविधान के दायरे में रहते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपना विवेक इस्तेमाल करे। यह विवेक उसे विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है।

- **संविधानिक विवेक का प्रयोग:** न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करते हुए राज्य की क्रियावली की सीमा तय करती है।
 - **कानूनी मापदंड:** न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की क्रियावली संविधान और न्यायिक विवेक के अनुरूप हो।
-

7. राज्य के कार्यों का पारदर्शिता (Transparency of State Actions)

राज्य की क्रियावली पारदर्शी और **सार्वजनिक समीक्षा** के अधीन होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार को अपनी कार्यवाही जनता के सामने रखने का दायित्व होता है, ताकि नागरिकों को पता चल सके कि सरकार क्या कर रही है और उसके निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं।

- **सूचना का अधिकार:** सार्वजनिक नीति और प्रशासन के बारे में नागरिकों को सही जानकारी देना अनिवार्य होता है। यह पारदर्शिता नागरिकों को राज्य की गतिविधियों पर निगरानी रखने में सक्षम बनाती है।

- **सार्वजनिक समीक्षा:** राज्य के निर्णयों को मीडिया, नागरिक समाज और अन्य संस्थाओं द्वारा समीक्षा की जाती है, ताकि सरकार का दुरुपयोग रोका जा सके।
-

8. प्राकृतिक न्याय का पालन (Adherence to Natural Justice)

राज्य की क्रियावली प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को अनुचित तरीके से न सताया जाए। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को **सुनवाई का अधिकार**, न्यायपूर्ण प्रक्रिया और न्यायिक निष्पक्षता प्रदान की जानी चाहिए।

- **सुनवाई का अधिकार:** नागरिकों को अपनी बात रखने और किसी भी निर्णय या कार्यवाही पर प्रतिक्रिया देने का पूरा अधिकार होना चाहिए।
- **निष्पक्षता:** राज्य को किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी कार्यवाई को निष्पक्ष और उचित तरीके से करना चाहिए, ताकि उसके अधिकारों का उल्लंघन न हो।

1. संतुलन की शक्ति (Balance of Power)

संतुलन की शक्ति वह स्थिति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति का वितरण इस तरह से होता है कि कोई भी राज्य अत्यधिक शक्तिशाली नहीं हो पाता और अन्य राज्यों के लिए खतरा नहीं बनता। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कोई एक राज्य विश्व व्यवस्था में हावी न हो जाए।

सीमाएँ:

- **आक्रामकता से रोकथाम:** राज्यों को किसी भी आक्रामक कार्यवाई से पहले शक्ति संतुलन का ध्यान रखना पड़ता है। यदि कोई राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो अन्य राज्य उसकी शक्ति को संतुलित करने के लिए गठबंधन बना सकते हैं, जिससे उस राज्य की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।
- **कूटनीतिक प्रतिबंध:** एक राज्य को अपने शक्तिशाली सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिससे वह एकतरफा कदम नहीं उठा सकता।
- **रणनीतिक बाधाएँ:** शक्तिशाली राज्य भी इस बात से सचेत रहते हैं कि किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध या संघर्ष से क्षेत्रीय अस्थिरता हो सकती है, जो उनकी अपनी स्थिति को कमजोर कर सकता है।

2. सामूहिक सुरक्षा (Collective Security)

सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत इस पर आधारित है कि यदि कोई एक राज्य दूसरे पर हमला करता है, तो बाकी राज्य मिलकर उसका विरोध करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी राज्य अकेले अपने लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को न तोड़े।

सीमाएँ:

- **सामूहिक प्रतिबद्धताएँ:** सामूहिक सुरक्षा संधियों के तहत राज्यों को एक-दूसरे की रक्षा करने का दायित्व होता है, जो उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई राज्य NATO या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, तो उसे एक हमले का जवाब सामूहिक रूप से देना पड़ सकता है, भले ही उसका अपना राष्ट्रीय हित इससे मेल न खाता हो।
- **निष्पक्षता की कमी:** सामूहिक सुरक्षा के ढांचे में कभी-कभी महत्वपूर्ण राज्यों (जैसे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य) के बीच असहमति आ सकती है, जो कार्रवाई को प्रभावी नहीं बनने देते।
- **मुक्त सवार (Free Riders) की समस्या:** कुछ राज्य सामूहिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त करते हैं लेकिन इसका पर्याप्त योगदान नहीं करते, जिससे प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

3. अंतर्राष्ट्रीय कानून (International Law)

अंतर्राष्ट्रीय कानून वह प्रणाली है जो देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है, जिसमें मानवीय अधिकार, युद्ध कानून, व्यापार और पर्यावरणीय समझौते शामिल हैं। यह देशों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकॉल से बांधता है।

सीमाएँ:

- **बाध्यकारी दायित्व:** अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शामिल देशों को उनके नियमों का पालन करना होता है, चाहे वह उनके राष्ट्रीय हितों से टकराए। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश युद्ध अपराध करता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में न्याय का सामना करना पड़ सकता है।
- **अधीनता की सीमाएँ:** अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर विभिन्न प्रकार की दंडात्मक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जैसे आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य हस्तक्षेप, जो राज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं।
- **संप्रभुता बनाम कानूनी प्रतिबंध:** कई बार देशों के लिए यह कठिन होता है कि वे अपनी संप्रभुता को बचाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें, जैसे कि मानवाधिकारों का उल्लंघन या सैन्य हस्तक्षेप के मामलों में।

4. अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता (International Morality)

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता उन नैतिक मानदंडों और सिद्धांतों का समूह है जो देशों के आपसी संबंधों में मार्गदर्शन करते हैं। इसमें मानवाधिकारों का सम्मान, युद्ध अपराधों की रोकथाम, और वैश्विक न्याय की स्थापना शामिल है।

सीमाएँ:

- **नैतिकता बनाम राष्ट्रीय हित:** राज्य अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकताओं से ऊपर रखते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता एक मानवता संकट में हस्तक्षेप करने की मांग करती है, एक राज्य अपने रणनीतिक या आर्थिक लाभ के लिए ऐसा कदम उठाने से बच सकता है।
- **भिन्न नैतिक मानक:** विभिन्न देशों के पास नैतिकता की अलग-अलग परिभाषाएँ हो सकती हैं। एक देश जिस क्रिया को सही मानता है, वह दूसरे देश के लिए गलत हो सकता है, जैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन या सैन्य हस्तक्षेप।
- **वैश्विक दबाव:** अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर आधारित दबावों के चलते राज्य कभी-कभी अपने कार्यों को नैतिक रूप से सही ठहराने के लिए बाध्य होते हैं, हालांकि यह उनके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकता है।

5. विश्व जनमत (World Public Opinion)

विश्व जनमत वैश्विक स्तर पर लोगों की सामूहिक राय है, जो मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), और सामाजिक आंदोलनों द्वारा प्रभावित होती है। यह जनमत राज्य की नीतियों पर दबाव डाल सकता है, विशेषकर उन मुद्दों पर जो मानवाधिकार, पर्यावरण, और युद्ध से संबंधित हैं।

सीमाएँ:

- **अंतर्राष्ट्रीय छवि:** राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए विश्व जनमत के दबाव में आ सकते हैं। गलत या विवादास्पद कार्रवाइयाँ राज्य के प्रति वैश्विक आलोचना का कारण बन सकती हैं, जो उनके कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को नुकसान पहुँचा सकती है।
- **घरेलू दबाव:** घरेलू जनता भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया कर सकती है, जिससे राज्य को वैश्विक आलोचना का सामना करने से बचने के लिए नीति में बदलाव करना पड़ सकता है।
- **गैर-राज्यीय प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय NGOs, सामाजिक आंदोलनों और मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से विश्व जनमत राज्यों पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बना सकता है, जिससे उनका स्वतंत्र निर्णय प्रभावित हो सकता है।

Unit-3

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (International Relations) में राष्ट्रीय हित (National Interests) और विचारधारा (Ideology) दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं, जो देशों के बाहरी कूटनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहार को निर्धारित करती हैं। ये दोनों कारक राज्य की नीति निर्धारण प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हित और विचारधारा मिलकर किसी राज्य के बाहरी लक्ष्यों, कूटनीतिक प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय नीति के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं।

1. राष्ट्रीय हित (National Interests)

राष्ट्रीय हित वह उद्देश्य या लक्ष्य होते हैं जिन्हें कोई राज्य अपनी सुरक्षा, विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता देता है। यह एक राज्य के आंतरिक और बाहरी मामलों को परिभाषित करता है और उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रीय हितों को आम तौर पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

राष्ट्रीय हितों के प्रमुख पहलू:

- **सुरक्षा (Security):** किसी राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। यह बाहरी आक्रमण से रक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, और सैन्य शक्तियों की बढ़ती से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, एक देश अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सैन्य गठबंधन कर सकता है।
- **आर्थिक हित (Economic Interests):** आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए संसाधनों का सुरक्षित प्रवाह, व्यापार समझौतों का निष्पादन और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना भी राष्ट्रीय हित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई देशों के लिए, ऊर्जा संसाधनों की प्राप्ति या मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना प्राथमिकता होती है।
- **राजनैतिक हित (Political Interests):** राजनीतिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और प्रभाव, तथा वैश्विक या क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को सुनिश्चित करना भी राष्ट्रीय हित में आता है। उदाहरण स्वरूप, एक देश दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करके या गठबंधनों को मजबूत करके अपनी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है।
- **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हित (Cultural and Historical Interests):** कुछ राज्य अपने सांस्कृतिक या ऐतिहासिक परंपराओं और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कूटनीतिक कदम उठाते हैं। यह विशेष रूप से उन देशों में देखने को मिलता है जो अपने सांस्कृतिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए 'सॉफ्ट पावर' का इस्तेमाल करते हैं।

राष्ट्रीय हितों के प्रकार:

- **स्ट्रेटेजिक हित (Strategic Interests):** ये दीर्घकालिक होते हैं और सुरक्षा, भू-राजनैतिक संतुलन, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं।
- **आर्थिक हित (Economic Interests):** यह देश के संसाधनों, व्यापार साझेदारियों, और वैश्विक आर्थिक सिस्टम में अपनी स्थिति बनाए रखने से संबंधित होते हैं।
- **सांस्कृतिक और नैतिक हित (Cultural and Moral Interests):** ये राष्ट्रों की नैतिक जिम्मेदारियों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की रक्षा, और वैश्विक न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता से जुड़े होते हैं।

2. विचारधारा (Ideology) और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विचारधारा उस राज्य की व्यापक मानसिकता और विश्वास प्रणाली है, जो उसकी आंतरिक और बाहरी नीतियों को आकार देती है। विचारधारा राष्ट्र की कूटनीतिक प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर प्रभाव डालती है, और कभी-कभी यह उसे अन्य राज्यों के साथ अपने रिश्तों को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करती है। विचारधारा के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं:

विचारधारा के प्रमुख प्रकार:

- **लोकतंत्रवाद (Democracy):** लोकतांत्रिक देश अक्सर लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयासों को केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और पश्चिमी देशों का विचारधारा आधारित दृष्टिकोण यह रहा है कि वे लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रसार के लिए सक्रिय रहते हैं, विशेषकर विकासशील देशों में।
- **मार्क्सवाद (Marxism):** मार्क्सवादी विचारधारा के तहत, राज्य आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर संघर्ष करता है। यह विचारधारा शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा प्रचारित की गई थी, जिसमें उसने साम्राज्यवादी पूंजीवादी देशों के खिलाफ संघर्ष किया।
- **नैतिकता और मानवाधिकार (Ethics and Human Rights):** कुछ देशों की विचारधारा मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह देश किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का समर्थन करते हैं, यदि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं।
- **धर्म (Religion):** कुछ देशों में धार्मिक विचारधाराएं उनकी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, इरान की विदेश नीति इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है, और उसका उद्देश्य दुनिया भर में इस्लाम के सिद्धांतों का प्रसार करना होता है।
- **राष्ट्रीयता (Nationalism):** कुछ देशों में कूटनीति राष्ट्रीयता पर आधारित होती है, जहां राज्य अपनी संप्रभुता और पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। यह विचारधारा अक्सर अपने हितों को सर्वोपरि मानती है और अन्य देशों के साथ संघर्ष को सही ठहराती है।

विचारधारा और राष्ट्रीय हितों का संबंध:

- **विचारधारा द्वारा प्रभावित राष्ट्रीय हित:** कभी-कभी, किसी राज्य की विचारधारा उसके राष्ट्रीय हितों के आकार और दिशा को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, एक लोकतांत्रिक देश यह मान सकता है कि उसे अन्य देशों में लोकतंत्र के प्रसार के लिए काम करना चाहिए, जबकि एक साम्यवादी राज्य ऐसा नहीं करेगा।
- **विचारधारा का राजनीतिक और कूटनीतिक नतीजे:** विचारधारा राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नीति और रणनीतियों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा के बीच संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया, क्योंकि दोनों शक्तियां एक-दूसरे के खिलाफ अपने विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश कर रही थीं।

3. राष्ट्रीय हित और विचारधारा के बीच संबंध

राष्ट्रीय हित और विचारधारा के बीच एक जटिल संबंध होता है। कभी-कभी विचारधारा राष्ट्रीय हितों का अनुसरण करती है, और कभी-कभी राष्ट्रीय हित विचारधारा से आगे निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए:

- **संवेदनशील रणनीतिक निर्णय:** जब दो विचारधाराएँ एक-दूसरे के खिलाफ होती हैं, तो राज्य अपनी रणनीति का चुनाव करते समय यह तय करता है कि विचारधारा की तुलना में राष्ट्रीय हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लोकतांत्रिक राज्य मानवाधिकारों की रक्षा करने की विचारधारा पर जोर देता है, तो वह एक साम्राज्यवादी राज्य से समझौता करने के बजाय संघर्ष करने का विकल्प चुन सकता है।
- **विचारधारा का विकास:** समय के साथ, किसी राज्य की विचारधारा बदल सकती है, और इससे उसके राष्ट्रीय हित भी प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, शीत युद्ध के बाद, सोवियत संघ की विचारधारा को समर्पण करना पड़ा और रूस के राष्ट्रीय हित बदल गए।

विदेश नीति (Foreign Policy) एक राज्य द्वारा अपनाई गई रणनीतिक योजना होती है, जो अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ उसके संबंधों को निर्धारित करती है। यह नीति किसी देश के राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, कूटनीतिक प्राथमिकताओं और वैश्विक मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण पर आधारित होती है। विदेश नीति किसी भी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में भूमिका और उसकी प्रभावी स्थिति को आकार देती है।

विदेश नीति के तत्व (Elements of Foreign Policy)

विदेश नीति के विभिन्न तत्व होते हैं, जो मिलकर एक देश के वैश्विक दृष्टिकोण और कूटनीतिक व्यवहार को आकार देते हैं। ये तत्व सरकार के लक्ष्य, कार्यनीतियों और अन्य देशों के साथ रिश्तों को परिभाषित करते हैं। नीचे विदेश नीति के मुख्य तत्वों की चर्चा की गई है:

1. राष्ट्रीय हित (National Interests)

राष्ट्रीय हित विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह किसी राज्य के लिए सर्वोपरि उद्देश्यों का समूह है, जो उसकी सुरक्षा, समृद्धि, और वैश्विक स्थिति से संबंधित होते हैं। राष्ट्रीय हितों में सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, और सांस्कृतिक प्रचार आदि शामिल हो सकते हैं।

- **सुरक्षा:** बाहरी आक्रमण, आतंकवाद, या अन्य सुरक्षा खतरों से बचाव के लिए सुरक्षा नीति।
- **आर्थिक हित:** मुक्त व्यापार, आर्थिक सहयोग, संसाधनों की उपलब्धता और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा।
- **राजनैतिक प्रभाव:** वैश्विक मंच पर शक्तिशाली स्थिति बनाए रखना और अन्य देशों के मामलों में प्रभाव डालना।

2. कूटनीतिक नीति (Diplomatic Policy)

कूटनीति एक राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है। यह संवाद, समझौते, गठबंधन और संवादात्मक पहल का माध्यम है। कूटनीतिक नीति में दो पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाना, विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन प्राप्त करना शामिल है।

- **दो-तरफा संबंध:** एक देश दूसरे देश के साथ सीधे वार्ता और समझौते करता है।
- **बहुपक्षीय कूटनीति:** विभिन्न देशों के साथ संधियों और संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, WTO, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद स्थापित करना।

3. सैन्य नीति (Military Policy)

सैन्य नीति विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो राज्य की रक्षा क्षमता और सैन्य रणनीतियों से संबंधित होती है। यह राज्य की सुरक्षा और प्रभाव क्षेत्र की रक्षा करती है, साथ ही आवश्यकतानुसार सैन्य गठबंधन और सैन्य हस्तक्षेप को भी परिभाषित करती है।

- **सैन्य गठबंधन:** जैसे NATO (नाटो) या अन्य सुरक्षा संगठनों के साथ साझेदारी।
- **सैन्य हस्तक्षेप:** युद्ध या सैन्य कार्रवाई का निर्णय, जो वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर निर्भर करता है।
- **रक्षा नीति:** सैन्य बलों की स्थिरता और तैयारियां, हथियारों की आपूर्ति और सैन्य तकनीकी विकास।

4. आर्थिक नीति (Economic Policy)

आर्थिक नीति विदेश नीति का एक और अहम हिस्सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, और वित्तीय सहयोग को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना होता है।

- **वाणिज्यिक संबंध:** विदेशी व्यापार समझौते, व्यापार बाधाओं को हटाना और वैश्विक बाजारों में कच्चे माल और उत्पादों के लिए रास्ते खोलना।
- **वित्तीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF, World Bank से आर्थिक सहायता प्राप्त करना, ऋण समझौते करना।
- **प्रौद्योगिकी और संसाधन साझेदारी:** अन्य देशों के साथ प्राकृतिक संसाधनों या प्रौद्योगिकी का साझा करना।

5. वैश्विक संस्थाओं के साथ संबंध (Relations with International Organizations)

वैश्विक संस्थाएँ जैसे संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), और विश्व बैंक देशों के आपसी रिश्तों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से देशों के बीच सहयोग बढ़ता है, और वैश्विक समस्याओं पर सामूहिक रूप से काम किया जाता है।

- **संयुक्त राष्ट्र (UN):** शांति स्थापना, मानवाधिकारों की रक्षा, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित करना।
- **विकासशील देशों के लिए सहायता:** अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विकासशील देशों को आर्थिक और मानवीय सहायता देना।
- **अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते:** जलवायु परिवर्तन, परमाणु निरस्त्रीकरण, और मानवाधिकारों जैसे वैश्विक मुद्दों पर संधियाँ बनाना।

6. सांस्कृतिक और मानवाधिकार नीति (Cultural and Human Rights Policy)

कई देशों की विदेश नीति में सांस्कृतिक और मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण पर जोर दिया जाता है। यह नीति राज्य के नैतिक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है।

- **मानवाधिकार:** देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना जब वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** संस्कृति, शिक्षा, और कला के माध्यम से एक सकारात्मक छवि और वैश्विक प्रभाव बनाना।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शिक्षा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

7. सैन्य-आर्थिक गठबंधन (Military-Economic Alliances)

कुछ देशों की विदेश नीति सैन्य और आर्थिक गठबंधनों पर आधारित होती है। ये गठबंधन सैन्य सुरक्षा और आर्थिक सहयोग दोनों के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, **नाटो (NATO)**, **सांझा सुरक्षा और व्यापार समझौते**, और **दोस्ताना देशों के साथ साझेदारी**।

8. नैतिक और राजनीतिक विचार (Moral and Political Considerations)

कई बार देशों की विदेश नीति उनके नैतिक और राजनीतिक विचारों पर भी आधारित होती है। जैसे लोकतांत्रिक देशों का मानवाधिकारों, स्वतंत्रता, और न्याय के सिद्धांतों पर जोर देना, जबकि अन्य देशों की नीति अपने आंतरिक राजनीतिक दृष्टिकोण को फैलाने पर केंद्रित होती है।

- **लोकतंत्र और मानवाधिकारों का प्रचार:** लोकतांत्रिक देशों का विश्वास है कि उन्हें वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्याय:** वैश्विक न्याय के लिए संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में विवादों का समाधान।

कूटनीति (Diplomacy) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देशों के बीच संबंध स्थापित, बनाए और विकसित किए जाते हैं। यह संचार, समझौते, वार्ता, और सहमति का एक कानूनी और शांतिपूर्ण तरीका है, जिसका उद्देश्य देशों

के हितों को समझना और उन्हें संतुलित करना है। कूटनीति राज्य की विदेश नीति का मुख्य हिस्सा है और यह वैश्विक शांति, सुरक्षा, और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कूटनीति के विशेषताएँ (Features of Diplomacy)

1. **संवाद (Communication):** कूटनीति का आधार संवाद है, जहां देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श करते हैं और अपने दृष्टिकोण, विचार और प्रस्ताव साझा करते हैं। यह एक शांतिपूर्ण वार्ता और बातचीत का तरीका है।
2. **संगठनात्मक ढांचा (Institutional Framework):** कूटनीति के लिए एक सुसंगठित ढांचा और तंत्र होता है, जिसमें दूतावास, उच्चायोग, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से राज्य अपनी कूटनीतिक नीतियों को लागू करते हैं।
3. **विश्वसनीयता और ईमानदारी (Trust and Honesty):** कूटनीति में विश्वास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देशों के बीच विश्वास स्थापित करना और ईमानदारी से समझौतों की पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। किसी भी कूटनीतिक समझौते का सफल होना इस पर निर्भर करता है कि पार्टियाँ एक-दूसरे पर कितना विश्वास करती हैं।
4. **सहयोग और प्रतिस्पर्धा का संतुलन (Balance of Cooperation and Competition):** कूटनीति में देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों की स्थिति होती है। किसी अन्य देश से दोस्ती और सहयोग स्थापित करना और साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, दोनों की रणनीतियों का संतुलन बनाए रखना कूटनीति का हिस्सा है।
5. **कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण (Legal and Ethical Perspectives):** कूटनीति का पालन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। यह निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है।

कूटनीति के उद्देश्य (Objectives of Diplomacy)

1. **सुरक्षा और रक्षा (Security and Defense):** कूटनीति का पहला उद्देश्य राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यह देश को बाहरी आक्रमणों से बचाने, शांति बनाए रखने, और सुरक्षा समझौतों की बातचीत करने के लिए होती है।
2. **वैश्विक सहयोग और समृद्धि (Global Cooperation and Prosperity):** कूटनीति का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत व्यापार समझौते, पर्यावरणीय समझौतों और शांति संधियों का निष्पादन किया जाता है।
3. **संघर्षों का समाधान (Conflict Resolution):** कूटनीति का एक प्रमुख उद्देश्य देशों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों और संघर्षों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करना होता है। यह युद्ध, सीमा विवाद, और आर्थिक संघर्षों को सुलझाने में मदद करता है।

4. **राष्ट्रीय हितों की रक्षा (Protection of National Interests):** कूटनीति का एक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। यह राज्य के रणनीतिक, आर्थिक, और राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है।
5. **संस्कार और संस्कृति का प्रसार (Promotion of Values and Culture):** कूटनीति सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा, और मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार के लिए भी काम करती है। यह वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की सकारात्मक छवि बनाने में मदद करती है।

कूटनीति के कार्य (Functions of Diplomacy)

1. **संवाद और सूचना संग्रहण (Communication and Information Gathering):** कूटनीति देशों के बीच संवाद स्थापित करती है और विभिन्न देशों की स्थिति, विचार और प्राथमिकताओं की जानकारी एकत्रित करती है। यह राज्य को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और उनके प्रभावों पर नजर रखने में मदद करती है।
2. **समझौते और संधियाँ (Agreements and Treaties):** कूटनीति के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच समझौते और संधियाँ की जाती हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण, मानवाधिकार, और अन्य वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करना होता है।
3. **विवाद समाधान (Dispute Resolution):** कूटनीति में विवादों को शांतिपूर्वक हल करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह युद्ध और संघर्षों से बचने का एक माध्यम है, जैसे कि सीमा विवादों को बातचीत और समझौतों के जरिए सुलझाना।
4. **राजनयिक प्रतिनिधित्व (Diplomatic Representation):** कूटनीति के तहत, विभिन्न देशों के दूतावास और उच्चायोग अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का कार्य करते हैं।
5. **सुरक्षा और शांति की स्थापना (Establishing Security and Peace):** कूटनीति शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, नाटो आदि के साथ मिलकर कार्य करती है।

कूटनीति के प्रकार (Types of Diplomacy)

1. **क्लासिकल या पारंपरिक कूटनीति (Classical or Traditional Diplomacy):** यह वह कूटनीति है जो दो या अधिक देशों के बीच औपचारिक बातचीत और संवाद पर आधारित होती है। इसमें दूतावास, उच्चायोग और राजनयिक मिशन का उपयोग किया जाता है।
2. **सार्वजनिक कूटनीति (Public Diplomacy):** यह कूटनीति का वह रूप है, जिसमें राज्य अपनी नीतियों और विचारों को वैश्विक स्तर पर प्रकट करने के लिए मीडिया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, और अन्य सार्वजनिक प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं।
3. **गुप्त कूटनीति (Secret or Covert Diplomacy):** इस प्रकार की कूटनीति में, बातचीत और समझौते गुप्त रूप से किए जाते हैं। इसे "पार्श्व कूटनीति" भी कहा जाता है, क्योंकि यह खुलकर नहीं होती।

4. **मल्टीलेटरल कूटनीति (Multilateral Diplomacy):** यह कूटनीति देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने के लिए होती है, और इसमें कई देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी होती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र (UN) या विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत होने वाली कूटनीति।
5. **आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy):** इसमें व्यापार समझौते, निवेश, वित्तीय नीतियाँ, और विकासात्मक सहायता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना शामिल होता है।
6. **सैन्य कूटनीति (Military Diplomacy):** सैन्य कूटनीति में, राज्य अपनी सैन्य ताकत का उपयोग अन्य देशों के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने, सहयोग बढ़ाने या खतरे को टालने के लिए करते हैं।

कूटनीति का पतन और भविष्य (Decline and Future of Diplomacy)

कूटनीति का पतन (Decline of Diplomacy)

1. **नई प्रौद्योगिकियों का प्रभाव (Impact of New Technologies):** इंटरनेट, सोशल मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक संचार के कारण पारंपरिक कूटनीति की भूमिका में कमी आ सकती है। अब अधिकतर संवाद और वार्ता डिजिटल माध्यमों से होने लगे हैं।
2. **पारंपरिक कूटनीति की लचीलापन की कमी (Lack of Flexibility in Traditional Diplomacy):** पारंपरिक कूटनीति में अधिक औपचारिकताएँ और जटिलताएँ होती हैं, जो आधुनिक विश्व की तेज़ी से बदलती स्थितियों के साथ मेल नहीं खातीं।
3. **संघर्षों में वृद्धि (Increase in Conflicts):** वैश्विक राजनीति में अत्यधिक अस्थिरता और संघर्षों के कारण, कूटनीति का प्रभावी होना मुश्किल हो गया है। सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक प्रतिबंध और अन्य कठोर उपायों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल कूटनीति को अप्रभावी बना सकता है।

कूटनीति का भविष्य (Future of Diplomacy)

1. **डिजिटल कूटनीति (Digital Diplomacy):** भविष्य में, कूटनीति अधिक डिजिटल और तकनीकी रूप में होगी, जिसमें सोशल मीडिया, वेबिनार और वीडियो कॉल जैसे आधुनिक साधन प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
2. **सांस्कृतिक और सामाजिक कूटनीति का बढ़ता महत्व (Increased Importance of Cultural and Social Diplomacy):** देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक समझ बढ़ाने के लिए कूटनीति पर जोर दिया जाएगा, जैसे कि शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, और मानवाधिकारों के लिए सहयोग।
3. **सतत कूटनीति (Sustainable Diplomacy):** पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के समाधान के लिए सतत कूटनीति की आवश्यकता बढ़ेगी। इसे नए रूप में और व्यापक ढंग से अपनाया जाएगा।

Unit-4

शीत युद्ध (Cold War)

शीत युद्ध एक राजनीतिक और सैन्य संघर्ष था, जो 1947 से 1991 तक **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)** और **सोवियत संघ (USSR)** के बीच हुआ। यह युद्ध शाब्दिक रूप से तो लड़ाई नहीं थी, बल्कि दोनों महाशक्तियों के बीच विचारधारात्मक, कूटनीतिक, और सैन्य प्रतिस्पर्धा थी। शीत युद्ध के दौरान, दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से पराजित करने के लिए हर संभव प्रयास करती थीं, लेकिन खुले तौर पर सैन्य संघर्ष में नहीं लड़ीं।

शीत युद्ध के कारण (Causes of the Cold War):

- विचारधारात्मक भिन्नताएँ (Ideological Differences):**
 - संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थक था।
 - सोवियत संघ साम्यवादी और एकदलीय शासन की नीति का पालन करता था।
 - युद्ध के बाद का अंतर्राष्ट्रीय संतुलन (Post-War International Balance):**
 - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूरोप और एशिया में नष्ट हुए देशों के पुनर्निर्माण के सवाल ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाया।
 - सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव को स्थापित किया, जबकि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप में लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन किया।
 - नाभिकीय हथियारों की होड़ (Nuclear Arms Race):**
 - दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों के निर्माण और वृद्धि की होड़ ने सैन्य तनाव को और बढ़ा दिया।
 - सैन्य गठबंधन और शीत युद्ध की रणनीतियाँ (Military Alliances and Cold War Strategies):**
 - नाटो (NATO)** का गठन पश्चिमी देशों ने किया, जबकि सोवियत संघ ने **वारसॉ संधि (Warsaw Pact)** का गठन किया। इन गठबंधनों ने शीत युद्ध को और बढ़ावा दिया।
 - दूसरे देशों में हस्तक्षेप (Intervention in Other Countries):**
 - दोनों महाशक्तियाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभाव को फैलाने के लिए हस्तक्षेप करती थीं, जैसे कि कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट आदि।
-

शीत युद्ध का अंत (End of the Cold War)

शीत युद्ध का अंत 1989-1991 के बीच हुआ, और यह बदलाव मुख्य रूप से सोवियत संघ के आंतरिक संकटों और बाहरी दबावों का परिणाम था। इस प्रक्रिया में कई प्रमुख घटनाएँ हुईं जो शीत युद्ध के अंत का कारण बनीं:

1. मिखाइल गोर्बाचोव की सत्ता में आने (Mikhail Gorbachev's Rise to Power):

- 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के नेता बने। उन्होंने **ग्लासनोस (Glasnost)** और **पेरस्ट्रोइका (Perestroika)** नामक सुधार योजनाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य सोवियत समाज में अधिक खुलापन और आर्थिक सुधार लाना था। इन सुधारों ने सोवियत संघ के सत्तावादी शासन को कमजोर किया और अन्य देशों में लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरित किया।

2. बर्लिन दीवार का पतन (Fall of the Berlin Wall, 1989):

- बर्लिन दीवार** का गिरना शीत युद्ध के अंत का एक प्रतीकात्मक और निर्णायक क्षण था। यह दीवार पूर्व और पश्चिम जर्मनी के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1989 में, पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक आंदोलन और स्वतंत्रता की मांग के कारण यह दीवार ढह गई, जिससे पूरे यूरोप में नए परिवर्तन की दिशा का संकेत मिला।

3. पूर्वी यूरोप में विद्रोह (Revolutions in Eastern Europe):

- 1989 में पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, और रोमानिया जैसे देशों में लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुईं। इन देशों ने सोवियत प्रभाव से मुक्ति प्राप्त की और लोकतांत्रिक सरकारों का गठन किया।

4. सोवियत संघ का विघटन (Dissolution of the Soviet Union, 1991):

- 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, और 15 स्वतंत्र देशों का गठन हुआ, जिनमें रूस सबसे प्रमुख था। इस घटना ने शीत युद्ध का औपचारिक रूप से अंत किया। गोर्बाचोव के नेतृत्व में, सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों के साथ तनाव को कम करने के लिए कई संधियाँ कीं, जैसे **START (Strategic Arms Reduction Treaty)**, जो परमाणु हथियारों के निर्माण में कटौती का वचन था।

पोस्ट-शीत युद्ध (Post-Cold War)

शीत युद्ध के अंत के बाद का काल **पोस्ट-शीत युद्ध** के रूप में जाना जाता है। इसमें वैश्विक राजनीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की परिप्रेक्ष्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए:

1. अमेरिकी एकलाधिकार (Unipolar World):

- शीत युद्ध के अंत के बाद, **संयुक्त राज्य अमेरिका** को दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरते देखा गया। सोवियत संघ का पतन और अमेरिका का सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व दुनिया के वैश्विक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य को बदलने के कारण बने। अमेरिका ने लोकतंत्र और पूंजीवाद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया।

2. वैश्विक सुरक्षा समस्याएँ (Global Security Issues):

- शीत युद्ध के बाद के दौर में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आंतरिक संघर्षों, और क्षेत्रीय युद्धों (जैसे इराक युद्ध 1991, यूगोस्लाविया का विघटन, अफगानिस्तान में तालिबान का उभार) ने वैश्विक सुरक्षा को चुनौती दी।
- **आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध** जैसे नए खतरे उभरे, और इससे वैश्विक सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया।

3. अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कूटनीति (International Organizations and Diplomacy):

- **संयुक्त राष्ट्र (UN)** और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शीत युद्ध के बाद शांति स्थापना, विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि, इन संगठनों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठे, खासकर जब शक्तिशाली देशों के बीच मतभेद होते थे।

4. चीन का उभार (Rise of China):

- 1990 के दशक के अंत में और 21वीं सदी की शुरुआत में, **चीन** तेजी से उभरा और उसने वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने और औद्योगिकीकरण के लिए आर्थिक सुधार किए, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति मजबूत हुई।

5. यूरोपीय संघ का विस्तार (European Union Expansion):

- पूर्वी यूरोपीय देशों के लोकतांत्रिक सुधारों और यूरोपीय संघ (EU) में उनके समावेश के कारण, यूरोप में एक नया राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण हुआ। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग और राजनीतिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

6. क्षेत्रीय संघर्ष और असमान विकास (Regional Conflicts and Uneven Development):

- पोस्ट-शीत युद्ध में वैश्विक विकास असमान रहा। कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध, और मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रहा, जैसे कि मध्य पूर्व में संघर्ष और अफ्रीका में गृहयुद्ध।

गैर-आक्रामकता (Non-Alignment):

गैर-आक्रामकता या गैर-बंधन (Non-Alignment) एक अंतर्राष्ट्रीय नीति है, जिसके तहत कोई देश न तो किसी विशिष्ट सैन्य या राजनीतिक गठबंधन में शामिल होता है, और न ही किसी दूसरे देश के प्रभाव के तहत अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। यह नीति स्वतंत्रता, समानता, और सार्वभौमिक शांति को बढ़ावा देती है, साथ ही यह विशेष रूप से दो प्रमुख शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है।

गैर-आक्रामकता का अर्थ (Meaning of Non-Alignment):

गैर-आक्रामकता का अर्थ है कि एक देश, विशेष रूप से युद्ध या संघर्ष की स्थिति में, किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह नीति मुख्य रूप से शीत युद्ध (Cold War) के दौरान उत्पन्न हुई थी, जब दुनिया दो प्रमुख ध्रुवों—संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और सोवियत संघ (USSR)—के बीच विभाजित थी। गैर-आक्रामकता का उद्देश्य उन देशों को एक स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति अपनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना था, जो किसी भी बड़े महाशक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे।

गैर-आक्रामकता की विशेषताएँ (Features of Non-Alignment):

1. स्वतंत्रता (Independence):

गैर-आक्रामकता नीति का मुख्य उद्देश्य किसी भी देश की विदेश नीति को स्वतंत्र बनाना है। इसका मतलब है कि देश अपनी आंतरिक और बाहरी नीति को स्वतंत्र रूप से तय करता है, बिना किसी अन्य देश की ओर से दबाव या गठबंधन के बिना।

2. ध्रुवीयता से बचाव (Avoidance of Bipolarity):

शीत युद्ध के दौरान, गैर-आक्रामकता का उद्देश्य दोनों महाशक्तियों (USA और USSR) के बीच ध्रुवीयता से बचाव करना था। इस नीति के तहत, देश किसी एक गुट के साथ नहीं जुड़े, बल्कि स्वतंत्र रूप से कूटनीति अपनाते थे।

3. शांति और सहयोग (Peace and Cooperation):

यह नीति युद्ध और सैन्य संघर्ष के खिलाफ है। इसका उद्देश्य देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वैश्विक शांति को बढ़ावा देती है।

4. सामाजिक और आर्थिक न्याय (Social and Economic Justice):

गैर-आक्रामकता देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राथमिकता देती है। यह नीति विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण रही है, जो आत्मनिर्भरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

5. सभी देशों के साथ संबंध (Relations with All Countries):

गैर-आक्रामकता नीति यह मानती है कि देशों को किसी विशेष शक्ति केंद्र के साथ संबंधों को प्रभावित किए बिना, हर देश के साथ दोस्ताना और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने चाहिए।

गैर-आक्रामकता की आधारशिला (Bases of Non-Alignment):

1. सार्वभौमिकता (Universalism):

यह नीति सार्वभौमिक शांति, न्याय, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य सभी देशों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सम्मानित करना है।

2. राष्ट्रीय हित (National Interest):

गैर-आक्रामकता देशों को यह अधिकार देती है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों का पालन करते हुए अपनी विदेश नीति तय करें। इससे देशों को अपनी स्वतंत्रता, सुरक्षा, और आर्थिक विकास की दिशा में निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है।

3. गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment):

इसका मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी देश किसी विशेष सैन्य या राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बने। इसका उद्देश्य वैश्विक संघर्षों और युद्धों से बचना और एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण विदेश नीति अपनाना है।

4. विकासशील देशों की साझेदारी (Solidarity of Developing Countries):

यह नीति विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण रही है, जो शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के प्रभाव में नहीं आना चाहते थे। गैर-आक्रामकता इन देशों को एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देती है।

गैर-आक्रामकता आंदोलन (Non-Alignment Movement):

गैर-आक्रामकता आंदोलन (NAM) 1961 में स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य तीसरी दुनिया (Developing world) के देशों को शीत युद्ध के दौरान राजनीतिक और सैन्य गुटों से मुक्त रखना था। यह आंदोलन शीत युद्ध के दौरान उन देशों के लिए एक मंच था जो न तो अमेरिकी नेतृत्व वाले गुट (NATO) का हिस्सा बनना चाहते थे और न ही सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुट (Warsaw Pact) का हिस्सा बनना चाहते थे।

गैर-आक्रामकता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य:

- शीत युद्ध की सैन्य प्रतिस्पर्धा को रोकना।
- विकासशील देशों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- देशों के बीच शांति, मित्रता, और सहयोग को बढ़ावा देना।
- वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना।

मुख्य संस्थापक देश:

गैर-आक्रामकता आंदोलन की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाने वाले देशों में भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया, और गिनी शामिल थे।

गैर-आक्रामकता का इतिहास (History of Non-Alignment):

1. प्रारंभिक विकास (Early Development):

- 1955 में बैंडुंग सम्मेलन (Bandung Conference) के दौरान, अफ्रीकी और एशियाई देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए थे। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की भावना को प्रोत्साहित किया गया।

2. 1961 में स्थापना (Establishment in 1961):

- गैर-आक्रामकता आंदोलन का औपचारिक रूप से 1961 में बेलग्रेड (Yugoslavia) में पहला सम्मेलन हुआ, जहां 25 देशों ने इसे स्थापित किया। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमल अब्दल नासिर, और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज़ टिटो इस आंदोलन के संस्थापक थे।

3. शीत युद्ध के दौरान की भूमिका (Role During Cold War):

- शीत युद्ध के दौरान, NAM ने दोनों महाशक्तियों के प्रभाव से बचते हुए विकासशील देशों के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया। हालांकि, आंदोलन के देशों के बीच आपसी मतभेद भी थे, क्योंकि कुछ देशों ने किसी गुट के साथ अधिक सहयोग किया था।

4. गैर-आक्रामकता की सीमाएँ (Limitations of Non-Alignment):

- शीत युद्ध के दौरान NAM देशों के लिए पूर्ण रूप से गुटनिरपेक्ष रहना कठिन था, क्योंकि कई NAM देशों ने समय-समय पर एक गुट का समर्थन किया।
- इसके अलावा, कुछ देशों की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता ने इस आंदोलन की एकता को प्रभावित किया।

गैर-आक्रामकता का 21वीं सदी में महत्व (Relevance of Non-Alignment in the 21st Century):

हालांकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, फिर भी गैर-आक्रामकता की नीति आज भी प्रासंगिक है, विशेषकर उन देशों के लिए जो वैश्विक राजनीति में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।

वर्तमान में गैर-आक्रामकता की प्रासंगिकता:

1. विश्व व्यवस्था में परिवर्तन (Changing World Order):

- वर्तमान में, अमेरिका, चीन, और रूस जैसे प्रमुख देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, और अनेक देशों के लिए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में गैर-आक्रामकता उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी एक शक्ति के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहते।

2. बहुपक्षीय कूटनीति (Multilateral Diplomacy):

- आज के विश्व में, देशों को अपने हितों को बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय मंचों (जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20, BRICS) का इस्तेमाल करना पड़ता है। गैर-आक्रामकता इन देशों को स्वतंत्र रूप से अपनी कूटनीति अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।

3. **आत्मनिर्भरता और विकास (Self-reliance and Development):**

- विकासशील देशों के लिए, गैर-आक्रामकता नीति उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करती है, क्योंकि यह उन्हें बाहरी दबावों से मुक्त रखती है और अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से लागू करने की स्वतंत्रता देती है।

4. **नए वैश्विक खतरे (New Global Threats):**

- आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, और वैश्विक महामारी जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। गैर-आक्रामकता नीति इस सहयोग को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह देशों को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बहुपक्षीय मंचों पर काम करने के लिए प्रेरित करती है।